



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17072020-220574
CG-MH-E-17072020-220574

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261]
No. 261]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2020/आषाढ 26, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2020/ASADHA 26, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
अधिसूचना

मुम्बई, 17 जुलाई, 2020

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2020

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/23.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (छ) और धारा 12क के खंड (घ) एवं खंड (ड) के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 में,-
 - I. विनियम 3 में,
 - i. उप-विनियम (5) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् -

“(5) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जिससे अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी से संबंधित कामकाज देखना अपेक्षित हो, के संगठन का निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) या उसका प्रमुख (प्रधान)

[उसके प्रमुख (प्रधान)] यह सुनिश्चित करेगा (करेंगे) कि एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डाटाबेस बनाए रखा जाए, जिसमें अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के स्वरूप का उल्लेख किया जाए और ऐसे व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाएँ जिन्होंने इस विनियम के तहत जानकारी साझा की हो तथा ऐसे व्यक्तियों के नाम भी शामिल किए जाएँ जिनके साथ इस विनियम के तहत जानकारी साझा की जाए और जिसमें स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) या जहाँ स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर) उपलब्ध न हो वहाँ कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किसी अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज की जानकारी शामिल की जाए। ऐसा डाटाबेस आउटसोर्स नहीं किया जाएगा और ऐसे डाटाबेस के संबंध में आंतरिक स्तर पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण आदि (जैसे टाइम स्टैम्पिंग और ऑडिट ट्रेल) भी लगाए जाएँगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डाटाबेस के साथ कोई छेड़छाड़ न हो पाए।”

ii. उप-विनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“(6) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जिससे अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी से संबंधित कामकाज देखना अपेक्षित हो, के संगठन का निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) या उसका प्रमुख (प्रधान) [उसके प्रमुख (प्रधान)] यह सुनिश्चित करेगा (करेंगे) कि स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डाटाबेस को संबंधित लेनदेनों (संव्यवहारों / ट्रांजेक्शन्स) के पूरा होने के बाद कम से कम आठ वर्षों की अवधि तक संभालकर रखा जाए, और किसी अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन) या प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) संबंधी कार्यवाहियों के संबंध में बोर्ड से कोई सूचना प्राप्त होने पर स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डाटाबेस में उपलब्ध संबंधित जानकारी को ऐसी कार्यवाहियों के पूरा होने तक संभालकर रखा जाएगा।”

II. विनियम 7 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“(ग) उपरोक्त प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) उस रूप में और उस प्रकार किए जाएँगे, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।”

III. अनुसूची-ख में,

i. खंड 4 में, उप-खंड 3(ख) में, शब्दों “के संबंध में” के पश्चात् और चिह्न “1” पूर्व, शब्द और चिह्न “, अथवा उन लेनदेनों (संव्यवहारों / ट्रांजेक्शन्स) के संबंध में लागू नहीं होंगे जो ऐसी अन्य व्यवस्था के जरिए किए गए हों जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

ii. खंड 12 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् -

“अधिनियम के तहत बोर्ड की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आचार संहिता में ऐसी अनुशास्तियों (सैंक्शन्स) और अनुशासनिक कार्रवाइयों का उल्लेख होगा, जिनमें शामिल हैं - वेतन आदि पर रोक, निलंबन, वसूली आदि, जो उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी द्वारा, आचार संहिता के उल्लंघन के लिए, अधिरोपित की (लगाई) जा सकेंगी, जिस सूचीबद्ध कंपनी से विनियम 9 के उप-विनियम (1) के तहत आचार संहिता बनाना अपेक्षित है। इस खंड के तहत एकत्र की गई कोई रकम बोर्ड को दे दी जाएगी, ताकि वह रकम निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि (जिसका संचालन अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा किया जाता है) में जमा की जा सके।”

iii. खंड 13 में, शब्द “बोर्ड को तुरंत सूचित करेगी”, शब्दों और चिह्नों “उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) को तुरंत सूचित करेगी जहाँ संबंधित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में व्यापार

होता हो (सौदेबाजी / ट्रेडिंग होती हो), उस रूप में और उस प्रकार जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

IV. अनुसूची-ग में,

i. खंड 10 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् –

“अधिनियम के तहत बोर्ड की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आचार संहिता में ऐसी अनुशास्तियों (सैंक्शन्स) और अनुशासनिक कार्रवाइयों का उल्लेख होगा, जिनमें शामिल हैं – वेतन आदि पर रोक, निलंबन, वसूली आदि, जो उस मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या वैश्वासिक एंटीटी (फिड्यूशरी) द्वारा, आचार संहिता के उल्लंघन के लिए, अधिरोपित की (लगाई) जा सकेंगी, जिस मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या वैश्वासिक एंटीटी (फिड्यूशरी) से विनियम 9 के उप-विनियम (1) तथा उप-विनियम (2) के तहत आचार संहिता बनाना अपेक्षित है। इस खंड के तहत एकत्र की गई कोई रकम बोर्ड को दे दी जाएगी, ताकि वह रकम निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि (जिसका संचालन अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा किया जाता है) में जमा की जा सके।”

ii. खंड 11 में, शब्द “बोर्ड को तुरंत सूचित करेगी”, शब्दों और चिन्हों “उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) को तुरंत सूचित करेगी जहाँ संबंधित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में व्यापार होता हो (सौदेबाजी / ट्रेडिंग होती हो), उस रूप में और उस प्रकार जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./118/2020-21]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/21/85 द्वारा, 15 जनवरी 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 तत्पश्चात्, -
 - i. 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/59 द्वारा,
 - ii. 21 जनवरी, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/02 द्वारा,
 - iii. 25 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/23 द्वारा,
 - iv. 17 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/32 द्वारा, संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 17th July, 2020

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PROHIBITION OF INSIDER TRADING)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2020**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/23.—In exercise of the powers conferred under Section 30 read with clause (g) of sub-section (2) of Section 11 and clauses (d) and (e) of Section 12A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, namely: —

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2020.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, —

I. in regulation 3,

i. sub-regulation 5, shall be substituted with the following, namely-

“(5) The board of directors or head(s) of the organisation of every person required to handle unpublished price sensitive information shall ensure that a structured digital database is maintained containing the nature of unpublished price sensitive information and the names of such persons who have shared the information and also the names of such persons with whom information is shared under this regulation along with the Permanent Account Number or any other identifier authorized by law where Permanent Account Number is not available. Such database shall not be outsourced and shall be maintained internally with adequate internal controls and checks such as time stamping and audit trails to ensure non-tampering of the database.”

ii. after sub-regulation 5, the following shall be inserted, namely, -

“(6) The board of directors or head(s) of the organisation of every person required to handle unpublished price sensitive information shall ensure that the structured digital database is preserved for a period of not less than eight years after completion of the relevant transactions and in the event of receipt of any information from the Board regarding any investigation or enforcement proceedings, the relevant information in the structured digital database shall be preserved till the completion of such proceedings.”

II. in regulation 7, in sub-regulation 2, after clause (b), the following shall be inserted, namely, —

“(c) The above disclosures shall be made in such form and such manner as may be specified by the Board from time to time.”

III. in Schedule B,

i. in clause 4, sub-clause 3 (b), after the words “delisting offer”, the words “or transactions which are undertaken through such other mechanism as may be specified by the Board from time to time” shall be inserted.

ii. clause 12 shall be substituted with the following, namely-

“Without prejudice to the power of the Board under the Act, the code of conduct shall stipulate the sanctions and disciplinary actions, including wage freeze, suspension, recovery, etc., that may be imposed, by the listed company required to formulate a code of conduct under sub-regulation (1) of regulation 9, for the contravention of the code of conduct. Any amount collected under this clause shall be remitted to the Board for credit to the Investor Protection and Education Fund administered by the Board under the Act.”

iii. in clause 13, the words “inform the Board promptly” shall be replaced by the words “promptly inform the stock exchange(s) where the concerned securities are traded, in such form and such manner as may be specified by the Board from time to time”.

IV. in Schedule C,

i. clause 10 shall be substituted with the following, namely-

“Without prejudice to the power of the Board under the Act, the code of conduct shall stipulate the sanctions and disciplinary actions, including wage freeze, suspension, recovery, etc., that may be imposed, by the intermediary or fiduciary required to formulate a code of conduct under sub-regulation (1) and sub-regulation (2) of regulation 9, for the contravention of the code of conduct. Any amount collected under this clause shall be remitted to the Board for credit to the Investor Protection and Education Fund administered by the Board under the Act.”

- ii. in clause 11, the words “inform the Board promptly” shall be replaced by the words

“promptly inform the stock exchange(s) where the concerned securities are traded, in such form and such manner as may be specified by the Board from time to time”.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./118/2020-21]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 was published in the Gazette of India on January 15, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/21/85.

2. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 was amended on,-

- i. December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/59;
- ii. January 21, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/02.
- iii. July 25, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/23.
- iv. September 17, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Third Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/32.